आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–92 / 2022

श्री नूतन कुमार प्रभात

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
17.01.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेशवाद संख्या–**18352 / 2018** में दिनांक–**20.04.2022** को पारित आदेश के आलोक में **श्री नूतन कुमार प्रभात** द्वारा यह सेवा अपील दायर की गई है। 2. समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया समर्पित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला श्री **प्रभात** के विरूद्ध समाहरणालय, **पश्चिम चम्पारण,** (जिला स्थापना प्रशाखा) के आदेश ज्ञापांक–**189** दिनांक–**06.12.2018** द्वारा संसूचित बर्खास्तगी आदेश से संबंधित है। 3. उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेशवाद संख्या–18352 / 2018नूतन कुमार प्रभात बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–20.04.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है– ''Insofar as challenge to the dismissal order the present petition is premature. Accordingly, the present petition stands disposed off reserving liberty to the petitioner to prefer an appeal against the dismissal order before the appellate authority within a period of eight weeks from the date of receipt of this order. The appellate authority is hereby directed to take note off Section 14 of the Limitation Act, 1963 for the purpose of condonation of delay in presenting appeal to be submitted." 4. माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में श्री प्रभात द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलवाद दायर किया गया है। श्री प्रभात द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित तथ्यों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं– (i) अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत	

WEB COPY NOT OFFICIAL

निवारण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–825 दिनांक–07.04.2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में श्री नूतन कुमार प्रभात, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में संचालित जमाबन्दी कैन्सीलेशन वाद संख्या–33 एवं 53/2015–16 में आदेश पारित करवाने हेतु मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये की दलाली लेने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक–1063/स्था0 दिनांक–29.04.2017 द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात को निलंबित कर दिया गया।

(ii) समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक–2015 दिनांक–02.08.2017 द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। श्री प्रभात के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है–

''अपर समाहर्त्ता–सह–लोक शिकायत निवारण, पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–174/जि0लो0शि0 दिनांक–20.03.2017 से प्राप्त श्री विनोद कुमार सिंघानिया, साकिन–लाल बाजार बेतिया के परिवाद पत्र के आधार पर अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक–06.04.2017 को विधिवत सुनवाई की गई। तथा परिवादकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंघानिया एवं आरोपी श्री नूतन कुमार प्रभात, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, बैरिया के बयान एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के विवेचनोपरांत परिवाद पत्र में वर्णित आरोपको प्रमाणित पाया गया है।

श्री विनोद कुमार सिंघानिया का आरोप है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में जमाबन्दी केंसिलेशन वाद संख्या–33/2015–16 एवं 53/2015–16 सुनवाई के बाद आदेश हेतु लंबित है। जिसमें श्री नूतन कुमार प्रभात, राजस्व कर्मचारी, द्वारा दोनों पक्षों से दलाली किया जा रहा है। श्री विनोद कुमार सिंघानिया द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रासंगिक वाद में प्रथम पक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया की ओर से दो लाख रूपये का चेक श्री नूतन कुमार प्रभात रजस्व कर्मचारी, को दिया गया है जिसे दिखाते हुए लंबित वाद में आदेश पारित कराने के लिए और ज्यादा राशि की माँग मुझसे की गई है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में संचालित जमाबंदी केंसिलेशन वाद

WEB COPY NOT OFFICIAL

संख्या–33/2015–16 एवं 53/2015–16 के प्रथम पक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया के द्वारा राजस्व कर्मचारी श्री नूतन कुमार प्रभात के खाता संख्या–32847243976 में दिनांक–29.11.2016 को दो लाख रूपये का भुगतान चेक के माध्यम से प्रमाणित है। इस राशि का लेन–देन उपरोक्त वाद के निस्तारण से संबंध रखता है। आपका यह कृत सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है तथा आपके भ्रष्ट आचरण को भी प्रमाणित करता है।''

(iii) संचालन पदाधिकारी–सह–निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–2173 दिनांक–30.11.2017 द्वारा समर्पित अधिगम में पाया गया कि ''आरोपी कर्मी श्री नूतन कुमार प्रभात, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, बैरिया के विरूद्ध गठित प्रपत्र क के आलोक में वर्तमान मामले की सुनवाई आरोपी कर्मी के पक्ष, जि0ले0शि0नि0 पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश, अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के सुनवाई प्रतिवेदन तथा भूमि सुधर उप समाहर्त्ता सदर, बेतिया के उपस्थापन के सूक्ष्म विशलेषण से आरोप प्रमाणित होता है''।

(iv) समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक–868 दिनांक–18.12.2017 द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात से संचालन पदाधिकारी के अधिगम के संबंध में अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई है।

(v) श्री प्रभात के अभ्यावेदन, दिनांक–22.12.2017 के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत दंडादेश में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख है–

''श्री नूतन कुमार प्रभात निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा विधिवत् सुनवाई पश्चात् समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन तथा श्री प्रभात के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष एवं मंतव्य का अवलोकन किया गया।

कैलाश कुमार सिंघानिया द्वारा दिया गया शपथ पत्र एवं उनकी माँ द्वारा थाना में इनके पति स्व0 ओम प्रकाश सिंघानिया के चेक बुक की चोरी के संदर्भ में दिया गया शिकायत विरोधाभाषी है, इससे स्पष्ट होता है कि जब विभागीय कार्यवाही शुरू हुआ तब बचाव में Evidence तैयार किये गये है, एवं यह After thoughts की संज्ञा में आता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

श्री नूतन कुमार प्रभात ने अपने कारण–पृच्छा में यह अंकित किया है कि ओम प्रकाश सिंघानिया को उनकी पत्नी के ईलाज हेतु आवश्यकता होने पर अजय गिरी की पत्नी नीलम गिरी से रूपया उधार लेकर ओम प्रकाश सिंघानिया को दिया। इनके द्वारा उधार दिये गये रूपये के बारे में प्रश्न उठते है किइस सारी प्रक्रिया में राजस्व कर्मी नूतन कुमार प्रभात ही क्यों शामिल हुए? नीलम गिरी एवं ओम प्रकाश सिंघानिया के बीच में सीधे लेन–देन हो सकता था। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि उसी समय ओम प्रकाश सिंघानिया का वाद भूमि सुधर उप समाहर्त्ता, न्यायालय में लंबित था। इस प्रकार से यह भ्रष्ट आचरण का स्पष्ट मामला है।

Axis Bank में संधारित श्री ओम प्रकाश सिंघानिया के खाता संख्या–916010048242930 में दिनांक–01.10.2016 से 29.11.2016 तक के बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.11.2016 को श्री ओम प्रकाश सिंघानिया के खाता से चेक संख्या–162295 द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात के खाता–32847243976 में मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये का अन्तरण हुआ है।

चूंकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में लंबित जमाबंदी कैंसिलेशन वाद संख्या–33 एवं 53/2015–16 के प्रथम पक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया द्वारा नूतन कुमार प्रभात के खाता में मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये का भुगतान प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त वाद के निष्पादन एवं निर्णय श्री ओम प्रकाश सिंघानिया के पक्ष में कराने हेतु श्री प्रभात द्वारा मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई है, तथा श्री ओम प्रकाश सिंघानिया के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक–29.11.2016 को मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये का श्री प्रभात के खाता में अंतरण, जो कि एक पुष्ट साक्ष्य है, से श्री विनोद कुमार सिंघानिया जो उक्त वाद में द्वितीय पक्षकार है, द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात, राजस्व कर्मचारी (निलंबित) के विरूद्ध मो0 2,00,000 (दो लाख) रूपये चेक के माध्यम से दलाली लेने का आरोप प्रमाणित होता है। एक सरकारी कर्मी के रूप में श्री नूतन कुमार प्रभात का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i), (ii) एवं (iii) में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा वृहद् शास्तियाँ अधिरोपित करने योग्य है।

वर्णित स्थिति में स्पष्ट है कि श्री प्रभात भ्रष्टाचार में लिप्त रहे है एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। इन्हें

WEB COPY NOT OFFICIAL

सेवा में बरकरार रखने से बिहार सरकार की छवि धूमिल होगी।

अतः मैं डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे, जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली 2007 द्वारा प्रतिस्थापित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री नूतन कुमार प्रभात राजस्व कर्मचारी (निलंबित) बैरिया अंचल सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, चनपटिया को उनके निलंबन की तिथि दिनांक–29.04.2017 से सेवा से बर्खास्त करता हूँ।''

5. श्री नूतन कुमार प्रभात, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी द्वारा अपील अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों का उललेख किया गया है–

(i) परिवादी श्री विनोद कुमार सिंघानिया का परिवाद पत्र असत्य एवं मनगढ़ंत है क्योकि संदभित चेक का भुगतान 30.11.2016 को हो चुका था जबकी वाद दायर की तिथि 28.02.2017 है।

(ii) परिवादी द्वारा चेक देखा गया होता तो परिवाद पत्र में ''नूतन यादव'' को नाम नहीं लिखता क्योकि चेक नूतन कुमार प्रभात से था।

(iii) परिवाद पत्र के साथ संलग्न सनहा प्रथम दृष्टया जाली, फर्जी है क्योकि सनहा पर न तो संबंधित थाना का मुहर है, नहीं संबंधित थाना के पदाधिकारी का हस्ताक्षर या आवेदन या क्रमांक है।

(iv) परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा एक ओर ओम प्रकाश सिंघानिया से दो लाख रूपये का चेक लेने का अपीलार्थी पर आरोप है तो दूसरी ओर आरोप पत्र में संलग्न सनहा के आधार पर उसी चेक के चोरी का आरोप लगाया गया है जो पूर्णतः विरोधाभाषी है।

(v) परिवादी ने स्व0 ओम प्रकाश सिंघानिया का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में जमाबंदी कैन्सीलेशन वाद संख्या–33/2015–16 एवं 53/2015–16 के लिए रिश्वत/कमीशन की बात किया है जो दोनों वाद चनपटिया एवं नौतन अंचल से संबंधित है जबकि आरोपी नूतन कुमार प्रभात, राजस्व कर्मचारी, बैरिया अंचल में कार्यरत थे।

(vi) श्री प्रभात द्वारा रूपये दो लाख का चेक उनके खाते में भुगतान किए जाने के संबंध में अंकित

WEB COPY NOT OFFICIAL

किया है कि उनका स्व0 ओम प्रकाश सिंघानिया से पारिवारिक संबंध है जिसके कारण उनकी स्वयं की एवं उनकी पत्नी की चिकित्सा हेतु उनके द्वारा श्रीमती नीलम गिरी से उधार लेकर स्व0 ओम प्रकाश सिंघानिया को रू0 दो लाख दिया गया था। जिसका भुगतान उनके खाते में श्री सिंघानिया द्वारा किया गया था। जिसे दिनांक–06.12.2016 को ही श्रीमती नीलम गिरी के खाते में उनके द्वारा कर दिया गय था। इस प्रकार उनके द्वारा श्री सिंघानिया से किसी प्रकार की रिश्वत अथवा दलाली नहीं ली गई थी एवं जाँच में भी ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रू0 दो लाख का भुगतान दलाली अथवा रिश्वत के लिए किया गया था।

(vii) संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी चश्मदीद गवाह के कल्पना एवं अनुमान के आधार पर निष्कार्ष अंकित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित निर्णय आधारहीन एवं साक्ष्यहीन तथा एक पक्षीय सुनवाई के अस्पष्ट प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जाँच नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित आरोप को सत्य साबित कर दिया गया है।

(viii) अपीलार्थी को दोष सिद्ध एवं दंडित करने में भारी भूल किया गया है क्योंकि नियमावली 2005 की धारा 17 का उल्लंघन किया गया है।

(ix) उक्त के आलोक में उनके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय को अपास्त (Set aside) किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन तथा सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष द्वारा उपस्थापित तथ्यों के जाँचोपरांतनिम्नलिखित तथ्य पाये गये–

(i) यद्यपि अपीलार्थी के विरूद्ध श्री ओम प्रकाश सिंहानिया के परिवारजनों द्वारा श्री नूतन कुमार प्रभात के विरूद्ध रिश्वत अथवा दलाली मांगे जाने की शिकायत नहीं की गई है परन्तु श्री नूतन कुमार प्रभात के खाते में रू0 दो लाख का अंतरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उनके द्वारा श्री सिंहानिया से रू0 दो लाख की राशि प्राप्त की गई थी।

(ii) जिला पदाधिकारी के स्तर पर विवेचित तथ्यों के अतिरिक्त श्री प्रभात द्वारा कोई नया तथ्य इस न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किय गया जिसके कारण जिला पदाधिकारी के निर्णय को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश में श्री प्रभात को उनकी निलंबन की तिथि से बर्खास्त किया गया है, जबकि भूतलक्षी प्रभाव से किसी सरकारी सेवक को बर्खास्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। अतएव मामले के सम्यक् समीक्षोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री नूतन कुमार प्रभात, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा संसूचित बर्खास्तगी के आदेश में किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है परन्तु बर्खास्तगी के आदेश को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की तिथि से अधिरोपित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL